इस्लाम और विश्व शान्ति

दुनिया में फैल रही अशान्ति और टकराव के संदर्भ में फ़िक्ह अकेडमी के चौदहवें सेमिनार में एक प्रस्ताव इस्लाम और विश्व शान्ति के विषय पर पास किया गया। प्रस्ताव के बिन्दु निम्नलिखित हैं।

1- हिंसा का हर वह रूप जिसके ज़रिए किसी व्यक्ति या समूह और समुदाय को किसी शरई आधार के बिना भयभीत और आतंकित किया जाए या जान, माल, इज्ज़त, वतन, दीन और आस्था को ख़तरे में डाला जाए वह आतंकवाद या दहशतगर्दी है। चाहे यह हरकत किसी व्यक्ति की तरफ़ से हो, समुदाय की तरफ़ से हो या किसी राज्यशक्ति की तरफ़ से हो।

2- किसी भी सरकार या राज्य की तरफ़ से ऐसी युक्ति अपनाना जिन से कोई व्यक्ति या समूह व समुदाय अपने मूल अधिकारों से वंचित होता हो या उसके जायज़ हित मारे जाते हों, आतंकवादी हरकत है।

3- (अ) किसी भी तरह के अन्याय के ख़िलाफ़ उचित और प्रभावी ढंग से आवाज़ उठाना पीड़ित व्यक्ति या समुदाय का हक़ है।

(ब) मज़लूम (उत्पीड़ित व्यक्ति या समुदाय) की तरफ़ से आत्मरक्षा के उपाय आतंकवाद या दहशतगर्दी नहीं है।

4- ज़ुल्म करनेवालों का सम्बन्ध जिस वर्ग से हो, उस वर्ग के बेक़सूर लोगों से ज़ुल्म का बदला लेना जायज़ नहीं है।

5- आतंकवाद की समस्या का हल यह है कि तमाम लोगों को समान रूप से पूर्ण न्याय दिया जाए, मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए और लोगों की जान, माल व इज्ज़त की रक्षा की जाए, तमाम तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर दुनिया के सारे इनसानों को इज्ज़त के साथ जीने का मौक़ा दिया जाए।

☆☆☆

6- किसी की जान, माल और इज्ज़त व आबरू पर हमले की स्थिति में उसको आत्मरक्षा का पूरा अधिकार हासिल है।